THE DOMESTIC WORKERS (CONDITIONS OF EMPLOYMENT) BILL, 1959

श्री पां० ना० राजभोज (मुम्बई) : उपसभापति महोदय, मैं आपके सामने डोमेस्टिक सर्वेंट का बिल पेश करता हूं।

Sir I move:

"That the Bill to provide for better conditions of employment of persons engaged in household duties and to regulate hours of work, payment of wages, leave, etc., be circulated for eliciting opinion thereon by the 30th March, 1960."

उपसभापति महोदय, मैंने आपके सामने जो बिल पेश किया है उसका उद्देश्य, जैसा कि स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजंस में बतलाया गया है, यह है कि जो घरेलू कर्मचारी हैं उन्हें अच्छी सहूलियतें तथा सुविधायें प्राप्त हों। जब तक मेरा ख्याल है तब तक मैं मानता हूं कि करीब करीब १½ से २ परसेंट तक लोग यह घरेलू काम करते हैं—कई पार्ट टाइम या कई फुल टाइम काम करते हैं। घरेलू काम में विशेषतः बर्तन साफ करना, कपड़ा धोना वगैरा प्रकार के काम का समावेश होता है। यह काम बहुत सादा है लेकिन उसको एक करने में इस प्रकार का स्किल लगता है जो अन्य कामों में लगता है। शीशे के बर्तन टूट-फूट जायं तो घरेलू कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह से उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। घरेलू कर्मचारी को जो भी तनख्वाह मिलती है वह बिलकुल कम है। उसे १५ घंटा काम करना पड़ता है और विश्राम या आराम बिलकुल प्राप्त नहीं होता। जब वह देहात से आता है—कांगड़ा, गढ़वाल, हिमाचल इत्यादि प्रदेशों से आता है—तब उसका उद्देश्य सिर्फ जानवर के मुताबिक काम करना नहीं होता है, बल्कि शहर की संस्कृति को अपनाने का तथा कुछ सीखने का और पढ़ाई करने का होता है। लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है कि थोड़े ही दिन में उसको नौकरी छोड़कर अपने गांव को वापस जाना पड़ता है। वह अनपढ़ रहता है। जहां से वह निकाल दिया जाता है वहां से उसे पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। इसके साथ ही साथ न उसे कपड़े मिलते हैं और न छुट्टी ही मिलती है।

उपसभापति महोदय, ये बातें मैं इसलिये कह रहा हूं कि घरेलू कर्मचारियों के लिये एक भी कानून नहीं है जिसके द्वारा उनके ऊपर जो अन्याय होता है उसका सहारा ले सकें और अपनी हालत सुधार सकें। यही कारण है कि मैं इस तरह का बिल सदन के सामने लाया हूं जिसके द्वारा उनकी हालत सुधारी जा सके।

चार दिन पहले पे कमीशन की रिपोर्ट बाहर आई और वह आपके समक्ष है। उसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में सिफारिशें की गई हैं और उन सिफारिशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन ८० रुपया हो जायेगा। और भी अन्य कानून हैं, जैसा कि वेजेज एक्ट है, जिससे विविध उद्योग धंधों में काम करने वाले लोगों के लिये वेतन निश्चित किया गया है। लेकिन घरेलू कर्मचारियों के लिये कोई शाश्वति की व्यवस्था नहीं है। उन लोगों को कुछ न कुछ शाश्वति देना जरूरी है। आज अनाज तथा कपड़े के दाम बढ़ गये हैं। इस तरह से कोई भी घरेलू कर्मचारी बीस या बाईस रुपये में अपना गुजारा नहीं कर सकता है। घर भेजने के लिये उसके पास एक भी पैसा नहीं रहता है और उसके कुटुम्ब का उदर निर्वाह अच्छी तरह से या पूरी तरह से नहीं हो सकता है।

अब मैं आपके जरिये यह बतलाना चाहता हूं कि इस बिल में क्या क्या चीजें घरेलू कर्मचारियों को सहूलियत और सुविधा देने के लिये रखी गई हैं। इस बिल में घरेलू कर्मचारियों के लिये यह व्यवस्था रखी गई है कि उन्हें हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले। घरेलू कर्मचारियों के दो वर्ग किये गये हैं तनख्वाह के लिये। १८ वर्ष के अन्दर के कर्मचारियों को ३० रुपया प्रतिमास तथा १८ वर्ष के ऊपर वाले कर्मचारियों को ४० रुपया प्रतिमास वेतन देना मुकर्रर किया गया है। घरेलू

[श्री पां० ना० राजभोज]

कर्मचारी दिन में दस घंटे काम कर सकता है और एक वर्ष लगातार काम करने पर उसे १५ दिन की सवेतन छुट्टी मिलने की इस बिल में व्यवस्था की गई है। लेकिन जो पिनाल्टी क्लाज १३ में लगाई गई है वह भी कम है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि यह बिल घरेलू कर्मचारियों के लिये एक मिनिमम प्रोग्राम के रूप में है। वह excessive नहीं है और मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जनता स्वीकृत करेगी। लोगों का मत या प्रतिक्रिया इस बिल पर क्या है, वह देखने के लिये मैं वह मोशन लाया हूं। उस प्रतिक्रिया को देखते ही इस बिल में और भी सुधार हो सकते हैं तथा सब कर्मचारियों के लिये कपड़े, इन्श्योरेन्स या प्राविडेंट फंड की व्यवस्था हो सकती है। मेरे पास इस प्रकार के पत्र आये हैं जिनमें यह लिखा है कि इन बातों को बिल में अवश्य रखा जाना चाहिये। ये सब बातें तब ही बिल में रखी जा सकती हैं जब यह चीज मालूम हो जाय कि लोग इस बिल के प्रति क्या भावना रखते हैं।

आज हम समाजवादी समाज रचना की तथा सारे कार्य क्षेत्रों में सहकार की बात और प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यह सैक्शन ऐसा है कि जो काफी दिन से निगलेक्टेड है। अन्य राष्ट्रों में घरेलू कर्मचारियों की सुविधा के लिये अनेक प्रकार के कानून बने हुये हैं। वहां डोमेस्टिक सर्वेंट को घंटे के हिसाब से पैसे दिये जाते हैं। दो घंटा काम करने के बाद वह कर्मचारी पढ़ने के लिये चला जाता है। रशिया में तो घरेलू कर्मचारी इतना महंगा है कि उसको इम्पलाय करना बहुत मुश्किल है। वहां पर घरवालों को अपने हाथ से अपना काम करना पड़ता है। वहां पर डोमेस्टिक सर्वेंट को इम्पलाय करने से डिसकरेज किया जाता है क्योंकि वे समझते हैं कि उसको अन्य जगह काम पर लगाने से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। मेरी यह प्रार्थना है कि यहां भी वह दिन आये जब डोमेस्टिक वर्कर की जरूरत न पड़े और जब इस तरह का दिन आयेगा तो वह हम सब लोगों के लिये सुदिन ही माना जायेगा। लेकिन आज की आर्थिक स्थिति तथा अनइम्पलायमेंट को देखते हुये महसूस होता है कि यदि हम इस बात को डिसकरेज या अबालिश कर न सके तो भी उनकी हालत जरूर सुधार सकते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये मैं यह बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपसभापति महोदय, तो इन लोगों के लिये कुछ न कुछ होना जरूरी है। वे एक कुटुंब के सदस्य हैं अगर इतना भी खयाल हो जाय तो उनकी हालत में सुधार होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। नहीं तो ये जो वैसे ही बचावहीन, संरक्षणहीन है, उनसे रात दिन काम लिया जायेगा और किसी प्रकार की भी सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं हो सकेगी। जब कभी उन्हें थोड़ा वक्त मिलता है आराम करने के लिये तो ये लोग जुआ खेलेंगे और जो इनको दस या पन्द्रह रुपया मिलता है उसको भी खो देंगे। जब एक साल काम करने के बाद उनका दिल घर आने को होता है तो उनके पास पैसा नहीं रहता। अगर उसके मालिक ने उसको पैसा दे दिया तो ठीक हुआ नहीं तो वह घरेलू कर्मचारी वगैर टिकट रेल में बैठ कर घर वापस चला आता है। तो मैं यह बतला रहा था कि मजदूरों में यह एक सेक्शन ऐसा है जो मोस्ट नैग्लैक्टेड है और जिसकी नौकरी सिर्फ मालिक के व्हिम्म्स (whims) पर ही अवलम्बित है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हमारे संसद के सामने एक आदमी ने भूख हड़ताल की। उसने अच्छा काम किया या बुरा, इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि उससे घरेलू कर्मचारियों की हालत हमारे नजर में आई। मैंने बिल में जो इंतजाम किया है वह मिनिमम प्रोग्राम है और

उसको स्वीकृत करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। और जैसे मजदूरों के लिये अन्य कानून हैं, जैसा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, मिनिमम वेजज़ ऐक्ट है, डाक मजदूरों के लिये, ट्रांसपोर्ट मजदूरों के लिये और कानून हैं और उनका जैसा अच्छी तरह पालन हो रहा है वैसे ही यह एक कानूनी बात है और मेरा खयाल है कि इसको ऐनफोर्स करने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन में यह नहीं चाहता कि इस बिल को फोर्स किया जाय। मैं जरूर चाहता हूं कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल होने से इसको जनता के सामने रखना उचित है। इस पर राज्य सरकारों का, मालिकों का, घरेलू कर्मचारियों का भी और पुलिस अफसरों का विचार लेना आवश्यक है। इससे हमें असली हालत इन लोगों की देश के कोने कोने में क्या है, कितने घरेलू कर्मचारी हैं, राज्यों में उनकी हालत में सुधार करने की कुछ स्कीम बनाई है या नहीं वगैरह जानकारी प्राप्त होंगी। और लोकमत समझने के बाद हम इस बिल में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बतलाया है, यह एक मिनिमम प्रोग्राम है और इस बिल में सुधार के लिये काफी जगह है। थोड़े दिन पहले "टाइम्स आफ इंडिया" में लेटर्स टू दी एडीटर में एक पत्र आया है। उसमें यह लिखा है :

"Mr. P. N. Rajahhoj is to be congratulated on introducing a Bill in the Rajya Sabha to ameliorate the conditions of domestic servants. I would like to suggest some more amenities: Maternity benefits; life insurance; provident fund, with the master's contribution of equal amounts; pension."—G. M. Vaidya.

इसमें पत्र लेखक ने और भी ज्यादा अमेनिटीज के लिये निवेदन किया है जैसे कि

maternity benefits, life insurance, provident fund with the master's contribution of equal amounts, pension, वगैरह। तो यह चीजें तो एकदम नहीं हो सकतीं। इसके लिये जनमत आजमाने की जरूरत है। इसलिये मैं आशा करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस मोशन को आप सपोर्ट दें। माननीय मंत्री जी से भी मेरी यह प्रार्थना है कि वे यह मोशन प्रिजुडिस्ड माइंड से न देखें। लोकमत क्या है और बिल में कौन सी चीजें कम हैं या ज्यादा हैं इसका फैसला यह मोशन स्वीकृत करने से ही हो सकता है। और अन्य देशों में भी इस सिलसिले में क्या कानून है उसका विचार होगा और जब हम तृतीय पंच वर्षीय योजना का विचार कर रहे हैं तब इसके महत्व के बारे में स्टैटिस्टिक्स जमा करना होगा। मैं जब सन् १९५५ में अमेरिका गया था तब देखा कि वहां नीग्रो लोगों को घरेलू काम करने के लिये घंटे के हिसाब से डालर वेतन के रूप में मिलता है। वे अपने मोटरों में जाते हैं और बर्तन मांजना, बर्तन साफ करना और ऐसे ही दूसरे काम करते हैं। यह ठीक है कि अभी हमारे देश को अमेरिका के बराबर आने में बहुत वर्ष लगेंगे, लेकिन देखना यह है कि नीग्रो लोगों की इकोनामिक हालत कितनी अच्छी हो गई है। वे मोटर में जा कर काम करते हैं। हमारे यहां की औरतों को नौकर चाहिये।

डा० श्रीमती सीता परमानन्द (मध्य प्रदेश) : आप उनकी क्यों नहीं मदद करते हैं ?

श्री पां० ना० राजभोज : मदद करते हैं। दोनों की सहमति से और प्रेम से काम होना चाहिये। लेकिन घरेलू कर्मचारियों को ११ बजे तक काम करना पड़ता है और घर की मालकिन उनसे यह कहती रहती है यह करो, वह करो, इधर जाओ, उधर जाओ। इस प्रकार उनके पास बहुत काम रहता है और उनकी परिस्थिति जानवरों की तरह की होती है।

डा० श्रीमती सीता परमानन्द : आप मदद नहीं देते हैं जिससे घर में नौकर को काम करना पड़ता है ।

श्री पां० ना० राजभोज : मैं भी वही बतला रहा हूं कि दोनों की गलती है । लेकिन घरेलू कर्मचारी भी ह्यूमेन बीइंग हैं । मैं जानता हूं कि इस बिल से एम० पी० लोगों को तकलीफ होगी । बहुत से एम० पी० मुझसे मिले और कहा कि आप बहुत खतरनाक बिल लाये हैं । मैं समझता हूं कि घरेलू कर्मचारी भी हमारे भाई हैं और उनके लिये कुछ न कुछ होना चाहिये । इसमें मैं क्या खराब बात बता रहा हूं । मैं यह बतलारहा था कि रशिया में भी घरेलू कर्मचारियों के लिये कुछ वेतन नियत किया गया है और वह इतना है कि वहां घरेलू कर्मचारी मिलना ही मुश्किल है । वहां आदमियों को घर के काम में नहीं लगाते हैं बल्कि खेती तथा कारखानों में लगाते हैं । इसलिये इन सारी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है । ट्रेड यूनियन वर्कर्स से भी मेरी प्रार्थना है कि आपने कारखानेदार और मिल मजदूरों के लिये बहुत से बिल पास करवाये हैं, इसलिये मिनिमम वेजेज एक्ट घरेलू कर्मचारियों पर भी अच्छे ढंग से लागू होना चाहिये । इनको भी लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है । मेरे पास और भी कई प्रकार के इस सम्बन्ध में लेटर्स हैं । यहां जो डामेस्टिक वर्कर्स यूनियन है उसने थोड़े दिन पहले पंडित जी के पास एक चिट्ठी लिखी थी । उसमें यह है :

"The service* of a domestic servant are often terminated arbitrarily. This should be protected by the extension of the Retrenchment Section of the Industrial Disputes Act and at least by a provision of one month's notice or one month's pay in lieu thereof. Weekly off, at least some festival holidays with pay and an annual leave to pay a visit to native places are absolutely necessary. Servants below 14 years of age should be protected from work involving heavy load by proper amendments in the Employment of Children Act.

Arrangements for medical aid can at least be provided to the servants of Government servants by inclusion of servants in the list of dependants. Similarly, there are many institutions where officers are paid by the institution for their servants. Offices of the Labour Commissioners may be used for persuading such institutions to pay for medical facilities of the servants of suck officers."

उसी में डोमेस्टिक सर्वेंट्स के बारे में एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया है जिसमें यह है :

"On April 2, 1954, the All-India Domestic Workers Union demonstrated before the Delhi State Assembly and the Union demanded facilities for the downtrodden and over-neglected poor domestic workers and strongly appealed to the State Government to pass laws to this effect."

उस वक्त चीफ मिनिस्टर चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी ने एश्योरंस दिया था । वहां जो डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन के नेता श्याम सिंह और ललिता प्रसाद हैं उन्होंने पार्लियामेंट के सामने एक अपील भेजी है । जब उन्होंने पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल की थी तो उनको एश्योरेंस दिया गया था लेकिन उसके बारे में ठीक ढंग से कुछ हुआ नहीं । इसीलिये मेरी यह प्रार्थना है कि उनकी परिस्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है । उस अपील में यह दिया हुआ है :

"After all these unwanted and undesirable happenings, the Union started hunger-strike on November 12, 1956, before the house of the Home Minister, Pandit Pant. But with the assurances and promises of our honourable Members of Parliament and especially that of Smt, Subhadra Joshi and Shri Feroze

Gandhi, Mr. Shyam Singh was obliged to break his 12 days old hunger-strike along with his eleven hunger-striking colleagues... "

हमारे कम्युनिस्ट भाई गरीबों और मजदूरों के लिए बहुत बातें करते हैं लेकिन आज उनका एक भी आदमी यहां नहीं है। उनको पावर पालिटिक्स की बात रहती है और गरीबों से वे हमदर्दी नहीं रखते हैं। इसीलिए वे यहां नहीं हैं। वे समझते हैं कि यह बिल कांग्रेस वालों की तरफ से आया है, इसलिए उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इस पर अभी और भी लोग बोलेंगे। इसलिए मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो बिल मैं आपके सामने लाया हूं, इसको आप कृपा करके मंजूर कीजिये। मैंने जो हालत आपके सामने बताई उसका भी आपको विचार करना चाहिये। मेरे पास अहमदाबाद से भी चिट्ठी आई है, वहां के लेबरर्स से चिट्ठी आई है। श्री चंदुलाल भीखाभाई सतीआ जो कि वहां के भारत सेवक समाज के अध्यक्ष हैं उन्होंने लिखा है :

"I have received. your letter and gone through the proposed Bill. I think there should be some distinction in minimum wage between full-time and part'time wcrkers also."

"Every domestic worker shall be allowed at least one full day's rest every week.

"No deduction shall be made from the wages of any domestic wor ker on account of weekly holidayi under sub-section (1)."

इसके बाद यह है :

Time and condition of *payment of wages*

Wages of every domestic worker shall be]>aid within the first seven days of the next succeeding month.

"Where the employment of a domestic worker is terminated by the employer, the wages earned by the domestic worker shall be paid within three days of the termination of employment."

मैंने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजंस में भी यह बताया है :

"A large number of workers are engaged for doing domestic jobs. Their conditions of service are not at all satisfactory. The Bill is intended to provide 'for the registration of domestic workers, to regulate their hours of work, payment . . ."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your motion at present is for consideration.

उन्होंने इस चिट्ठी में कई सजेशंस दिये हैं और वह चाहते हैं कि यह बिल किसी न किसी तरह से पास हो। इसके किसी न किसी हालत में पास होने की बहुत आवश्यकता है। उपसभापति जी, मैं यह नम्रतापूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं।

इस बिल में मैंने कई बातें लिखी हैं और उनको बहुत विचारपूर्वक लिखा है। इसमें कुछ गलती हो सकती है लेकिन लोगों के जो डेपुटेशंस आये हैं और उन्होंने जो बातें बताई हैं उनको इसमें रखा है। इसमें वीकली हालीडेज के बारे में यह कहा है :

श्री पां० ना० राजभोज : आपके जरिये से बताना चाहता हूं कि इसमें मैंने क्या क्या बताया है। इसके बारे में जरूर विचार होने की आवश्यकता है। इस बिल में कई बातें इतनी अच्छी लिखी हैं कि इसके ऊपर आप कृपा करके जरूर विचार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Have you finished?

श्री पां० ना० राजभोज : मैं बाद में बोलूंगा अगर आप चाहते हैं। दूसरों को बोलने की इच्छा होगी इसलिये मैं थोड़ा

[श्री पां० ना० राजभोज]

सा बैठता हूं। मैं फिर इसके बारे में बात करूंगा। धन्यवाद।

The question *was proposed.*

DR. SHRIMATI SEETA PARMA-MAND: Mr. Deputy Chairman, I have great pleasure in supporting *be principles of this Bill because it is impossible not to sympathise with the aims and objects of the Bill, as even according to our traditions women and servants are classed together. Women are always 24-hour servants and the domestic servants work from 5 A.M. to 11 P.M. So realising the hardships of these people is not at all a difficult thing for a person, for a woman particularly.

Sir, the Statement of Objects and Reasons of this Bill makes out a itrong case in favour of the domestic servants. But I would humbly like to put to Mr. Rajabhoj, the hon. Mover of this Bill, that though the objects and aims of this Bill make out a strong case in their favour, we have to see whether the Bill, if it becomes law, can be implemented. I know that Government, in the Consultative Committee and also in the Industrial Tripartite Conference in Madras, had taken up this question and has given much time to it, particularly because of the hunger-strike that was going on here, and the Labour Minister, Shri Nandaji, has himself given personal attention - to this as much as possible, and I know on good authority that it was decided to take up this measure for trial in the City of Delhi itself. The enforcement machinery, as given here in the Bill, would have to be so large that even if the entire police budget for law and order that is there today were to be doubled or trebled, I do not think it would be possible to do this work if the Act is to be applied to the whole country. Apart from the fact that there are very many lecunae in this Bill as it is which would make it impossible to implement it, there are so many contradictions. There are many things that are left out and I would like to point out some of them which would make it difficult to get a good and entire picture of the objects of the mover.

Firstly, I would refer to the definition of 'domestic worker* and it speaks of cleaning, gardening, tending, etc. I would like to ask the Mover whether a worker, if he is not an industrial worker, who does some work in shops, etc., and works also in the house, can come under this Act. Then, it speaks of full time or part-time worker doing the work of cooking, sweeping and so on. The part-time worker is to be given all the benefits that are mentioned in clauses 9 and 10—one day's rest every week, so many days of privilege leave and so many other things—as if they are in an industrial concern. If the definition of 'domestic worker" is to apply to part-time servants also, how would these things be applicable to them? Similarly, there are so many things which are unworkable. I do not know how the mover thought that this Bill could be implemented at all by anybody.

The mover has said that the pay should be paid before the seventh of every month. It is not stated what remedy there would be if such a thing was not done. He mentions some tribunals.. How many tribunals would we require? We know that the economic condition of our country is such that many of the employers themselves do not get their salaries before the seventh of the month. Many of them ^may not get them for a longer time. Particularly, in the State of Madhya Pradesh, where there is the integration of four States, the service records of the old Madhya Bharat State have to be considered when a man is transferred to the Vindhya Pradesh area. Even people who have got eight or ten years' service and. who are drawing about one hundred or two hundred rupees, are not, at least twice in a year, paid their salary in time for two or three months to-

gether and that happens because the previous sanction of the audit department has to be obtained when the new budget proposals come into force and then once again. So, what is to happen in this case?

Sir, the provision with regard to the police action required makes one wonder whether the domestic servants are to be treated as criminals. The police has to make enquiries into their credentials, addresses, etc. Whatever information is given about a domestic servant—the place where he was employed etc.—has to be - verified from the village of that person. We know, Sir, that even today with our routine administration, it is difficult to get replies in governmental business—Central or State to State Government business—because the personnel required is so great, and the administrative work has so increased, because of the so many plans we have taken up, the Community Development and other kinds of programmes. If we were to have these answers to be brought from the village by a person, taking for either capable of giving correct information or would be honest enough to give correct information, and if one, as is usually the case, is illiterate, what is to be done? Let me read, Sir, some of the clauses. It,says in sub-clause 6(1):

> "The officer in-charge of the police station shall maintain a register of domestic workers and enter therein the particulars furnished by the employer under section 5 . . ."

Now, leaving aside the question of a place like Delhi, I would take the example of a district with 40,000 to 60,000 inhabitants even, and ask the mover whether it is possible to make time for such a register by the police officers of the particular district, who are not even able to enquire into the crimes and other things that happen, breaking the various laws, even the laws bearing on food adulteration or food control and other things, whether it is possible for them to make time for such a register. If the mover had suggested that this should be done in a limited way as an experiment, as a pilot project, in a small district, and the employment exchanges could be used for this, one could perhaps have understood it, but even there, Sir, I would like to say this that, knowing as we do, the employment conditions in our country and how difficult it is for many people to get a livelihood in their villages, knowing also that domestic service is a kind of relief, to earn some money to supplement their other meagre incomes, or to find a home in a different place where they will have shelter and wages from their domestic service, it is not understood how the mover or those who have written to him—may be from a city like Delhi where people might have taken a self-centred view, looking to their own needs and the possibility of meeting them,—could think of sponsoring a legislation that will be applicable to the whole country without realising whether it would confer anj real benefit on the domestic workers throughout the country and also whether such a legislation is workable at all. Sir, look at the requirements in sub-clause 6(2), look at the elaborate enquiries a police officer has to make. The sub-clause says:

> "The officer in-charge of the police station or some one deputed by him shall call on the employer within three days of the registration and verify the details." By the way, if the servant had run away in between, all the labour would be wast-' ed—"furnished earlier. He may also gather from' the domestic worker such other details as he may require. He shall, in particular, record following:—
>
> (i) Height.
>
> (ii) Identity marks.
>
> (iii) Specimen Signature or thumb impression."

Now, who is going to verify the thumb impression? How many people can read and write, I would like to ask the mover? And I would like the

[Dr. Shrimati Seeta Parmanand.] movei to pay attention to what I am saying so that he may be able to see how far workable will be the legislation that he is wanting to introduce in the interests of these peopie.

The clause proceeds further and sub-clause 6(3) says:

> "The police officer shall, after getting all the information mentioned in sub-sections (1) and (2),"— that is what I read out earlier— "immediately write to the police station of the place of origin of the domestic worker and ask for verification of the details."

Sir, when we know that even in the case of accidents or anything serious happening at the place of origin it is impossible to get any details about the people, how is it possible in this case, and who is going to bother about thousands of people who are employed all over the country in domestic service for giving the information that is required like this? And is it feasible that every employer will take an inch-scale or a measuring tape and measure the height of his domestic worker or workers? I am glad that the mover has not included "weight' also. And then the domestic worker will have to be asked to reveal his identity marks. The whole thing, Sir, though an ideal thing, has been put in such an impracticable manner that it would be impossible to achieve the object, and not only would it cause harassment to the employers, but it would certainly cause harassment to the workers also. And very soon they will say : "Please save us from this type of harassment."

Then comes action to be taken by the Police Officer and the relative clause 7 says:

> "If the police officer who has originally addressed a communication under sub-section (3) of section 6" —that is about getting the information from his village immediately— "finds that the report, he has received under sub-section (4) of the said section does not tally with the details given about the domestic worker, he shall duly intimate the fact to the employer concerned."

Now what is the employer to do immediately? If the height and; identity marks as recorded in a district town or, say, in Bombay do not tally with those as obtained from the village—if at all anybody has noticed them in the village—then the police officer shall duly notify this fact to the employer. And is the employer then expected to dismiss that domestic worker? Sir, my point is, when giving all these things, weekly holidays, casual leave, privilege leave and prompt payment of wages—things which look very, ideal on paper—it was necessary to see whether all this would go ' to the benefit of domestic workers and whether they could expect employment with these benefits insured to then* especially in our country where unemployment is rampant. Even industrial workers today are faced with partial employment or half employment, not full employment, those who are registered, those who are on the regular rolls of an industry, those who are even governed by wage awards and those employees who are really threatened with punishment under industrial legislation, they are not able to get full employment, and when as a result of the award they are dismissed they are taking recourse to gambling to eke out a living in between their dismissal and their reinstatement, if at all they are reinstated. Is it ever possible—I am asking the mover—to find full employment for those who are now partially employed or to make this law applicable to people to the benefit of the domestic workers? If this Bill were made into an Act, it would, in my opinion, result in a failure. It cannot be made into an Act, because the whole thing is so impracticable and vague. If one were to go to a court, the court will find that it is impossible to decide any case under this Act That will be the test as the speaker on the last Bill too said. The whole

scheme of the Bill entitles the Bill to be styled "The Domestic Workers (Unemployment Promotion) Bill", because the people naturally will not like to employ domestic servants under this Act.

Let me give" you an instance, a thing that actually happened. In a suburb of Bombay certain cooks had gone on strike, because Bombay is an advanced city, and there all these ideas are very well known, and the cooks, usually, are a class of people who are' literate. They sounded their trade union and the result was that all the cooks went on strike, because their preposterous demands were not met. Following this the ladies of that particular suburb also, who had their women's ' organisation, met and decided not to employ any cooks rather than be bothered by them every -time. This went home and after a month or two they all came back for service.

Let me now tell you about Delhi. There were some men discharged from the I.N.A. who were working as drivers and who were doing some domestic work also, and when I asked them how they, being members of the union, were doing this other work, they said, "What if we are members of the Union? If we did not do this other work, we would be faced with unemployment. So, we have to do-- these things. - Otherwise, the employer will himself drive the car and do away with our service."

So, Sir, we have to take always a practical view of things. It is no use thinking of ideals—these things are ideal no doubt in the U.S.S.R, and other Communist countries where there is full employment. Those are dictatorial States. We are not able to regulate wages and regulate expenditure, save money at the top so as to give equal wages to everybody. As a result we cannot today guarantee full employment though it may be a Directive Principle in our Constitution. As such we have to see— doesn't matter whether it is in the domestic service or in the agricul-

tural Service—that these people do get something and are not deprived of domestic service.

Let me give you another instance. Madhya Pradesh is one of the States, Sir, which about ten years back had passed legislation about minimum wages in agriculture. Even there the wages are always governed according to the conditions of availability of labour. It is always the law of supply and demand that regulates these things. So, in spite of the legislation being there, it is not possible to implement that legislation, because the workers themselves would not come forward to give evidence.

I shall give you another instance. The coal industry is the best regulated industry so far as wages are concerned. In this industry, contract labour is used in some mines to the extent of one-third. If the total strength is three thousand, thousand or thousand and three hundred labourers belong to the contract labour category, and these labourers instead of getting three rupees, get only a rupee and four annas or ten annas, the rest of the money being divided between the employer and the contractor who happens to be a supervisory employee. When the Unions go to the workers asking them, as Union mem-, bers, to give it in writing that they received only this much, even though they complain loudly, they are not prepared to give anything in writing because they know that for every man who is sent out, there are three or four persons waiting. Government has taken action and has also enacted legislation—we passed that measure in the last Session—to the effect that whenever there is a vacancy, it should be notified to the employment exchange. Because of the difficulty faced by the workers, the labour leaders in the other House and in this House wanted the Labour Minister, Shri Nanda, to accept an amendment which would make it incumbent on the owners to take in labourers only from the exchanges, but the Labour Minister did not agree to this suggestion because of practical

[Dr. Shrimati Seeta Parmanand.] difficulties. This is a thing which will seek its own level because of the law of supply and demand, and any legislation brought forward in regard to this matter will only mean further harassment to the poor labourers resulting in what happened in Bombay where the housewives had decided not to employ domestic servants, that being enacted in other places also. Such a' thing has happened in the West^ also. He was talking of conditions in the • West »and he. also mentioned a letter of congratulations received by him and which has also come in the press. While he only mentioned the West, he was not prepared to go into the conditions existing there. Labour legislation in the West has become very difficult. He was talking about the United Kingdom but even there, there is no full employment—let us not take the Communist countries—-and the State is giving doles. Here we have no arrangement to give doles to our unemployed persons. People are not employing domestic servants except people who come in once or twice a week. People are employing domestic servants only on a casual basis; they have servants who come once in a week or have altogether two or three people who come in for half a day. There are other reasons for this but the main point is that if these people earn, then because of their earnings, they would not be entitled to the old age pensions in full. Therefore, all this type of legislation relating to domestic servants is related to the important principle of a welfare State. Unless we overcome our financial stringency, it would be difficult, in spite of all our sympathies, to do anything of the type suggested in this Bill with regard to the domestic servants. In the meantime, it is for the social workers to educate these people to do their duty properly. The hon. Member has looked at the question only from one point of view; he talks about hours of work, ten hours, and so on. He has compared the condi-tfons here with the conditions obtaining in the West but has he compared the efficiency of the workers in the West with that of the workers here or even with China? . Because of lack of education and a general sense of responsibility, they do their work in a certain way and they go on strike even in industries in a very lackadaisical manner. The climate is also very enervating. We ask for rights but we have to see that people do their duties. The hon. Member has not thought anywhere from the point of view of the masters. A few masters may be bad and they may not be paying the domestic servants properly. I do not deny that. The Domestic Servants' Union in Delhi complained that the masters make the servants sleep in staircases and in dungeons; they abuse the labour and so on. This may be true in respect of some masters but awakening can be brought about in the case of such masters by the workers and by people who are coming forward to represent them. I should like to know what the hon. Member, and those who support him, have done to educate the workers in regard to the workers developing a sense of responsibility. It is said in the Bill that they should be given this concession, that concession, full month's leave with pay for every year of completed service and all that, but what about the French leave that these people take? The common excuse given, more so in the backward State of Madhya Pradesh, is that some mother is dead. If they were to be asked as to when the mother died, then they would say that this was a step-mother or some other mother. There is a long list of several mothers. They want to go and attend the death ceremony of somebody or the other and so, very often, there are these false excuses and this happens even in an industrial concern. I would like the hon. Member to remember this. He should have gone to the Labour Ministry and found out as to what has been done so far for these' people. He knew very well about the strike that took place, the hunger strike that took place but how

is it that he did not find out as to what were the solutions that were offered by the Labour Ministry as a result .of this strike? He also ought to have found out as to how this problem came to be given so much of prominence in the Tripartite Conference in Madras. Sir, the hon. Member is a member of the Congress Party—and I am sorry to say this here —and he ought to have known the facts. The Party has given an undertaking—and the Government has accepted this in the Tripartite Conference—that no measure will be brought forward in regard to this matter because the matter is difficult of solution. Government has guaranteed that it will take this up in Delhi as an experimental measure to find out ways and means by which this problem could be solved and will later on see what could be done about it.

-

The hon. Member asked us again and again *to* give deep thought to this problem. I should like to request him to do the same thing. Has he given deep thought to this problem from all its angles?. If he has, then how is it that he has been blind to these aspects? The clauses contained in the Bill are very unpracticable. I do not know what he has in mind. Has he worked out the cost of the enforcement machinery? i What does he think would be the machinery by way of the tribunals that would be - required? Has he any idea of the number of police officers that would be required? He says that he is always copscious of the difficulties of the backward classes and the Scheduled Castes. He must be knowing how the official staff is not adequate there. How is it then that he has not thought about this fact that it would be beond the means of Government to employ the additional staff required for this purpose-I would again like to stress that I have got the greatest sympathy for the hardships of the domestic servants and I have no sympathy for the employers who do not look at the i hardships of the domestic servants from a humanitarian point of view. India has a tradition in this respect. If the employers are from the villages and belong to the educated and cultured classes, they should look upon the servants like members of their own families, like their own children, and the servants also .look upon their employers as members of their own families. If we have, on account of the industrialisation and stress of modern life, forgotten those ways, then there is ample scope for the social workers to get active and to revive those old traditions. Therefore, while I sympathise with the Statement of Objects and Reasons, I feel that every effort should be made to educate not only the domestic servants but also the employers in their sense of duty and 1 feel that the object of this Bill will have been achieved if this discussion, which, I hope, will continue on the next non-official day also, is used for focussing attention on the danger that may be there, *viz*, that people would not like to take to domestic service. As long back as 1921 or 1922 when the legislation about domestic servants had come in England, it was not so drastic as this one, requiring that the police should have the identity marks etc., but all that was intended was that a percentage of the domestic servants' wages should be paid as contribution to the Government by the employers from which they could get free medical help and there should be two half days a week, not one full day, given to the domestic servants as leave. But even then the domestic servants used to avoid domestic work and take to service in hotels. Today our hotels are not called industrial concerns, though there is such a legislation as the Shop Assistants' Hours of Duty Rules under which the shop assistants' hours of duty are regulated but I do not think' it is applicable in all the small towns. Though it is there and under that, some of these petty shops and hotels etc. can be, to begin with, brought under this type of legislation to give relief to the workers, yet I do not think, in spite

[DT. Shrimati Seeta Parmanand.] of the sympathy one may, have with the lot of domestic servants, one would say that the time has come to justify this type of measure which will defeat its very purpose and it will only add to the list of measures which only remain on paper and. which create a sense, among the citizens, of defiance for law because the inability of the Government to Implement any Act, and is indirectly taken by all concerned to imply weakness. The domestic servants would themselves not even give for fear of being out of their jobs, any information of injustice done to them. That kind of thing strikes at the very root of the principle of law and order. It is therefore the interest of these very important issues that are involved, even if one were to agree to pass this type of legislation, that makes me reluctantly tell the mover that the only thing he can do is to withdraw the motion because the time is not yet ripe for it.

श्री नवाबसिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, श्री राजभोज जी ने जो बिल सदन के सामने पेश किया है, उसके अंतर्गत जो भावना है यानी स्पिरिट है, उसका मैं स्वागत करता हूं । शायद ही कोई ऐसा दिल वाला आदमी हो जो इस बात का स्वागत न करे । किन्तु मुझे यह कहते हुये भी संकोच नहीं होता है कि जिस मकसद से, जिस आशा से यह बिल यहां सदन के सामने हमारे मित्र राजभोज जी लाये हैं, अगर इसी शक्ल में यह पास हो गया और इस पर अमल होने लगा, तो उसके बिल्कुल विपरीत ही असर होगा, उल्टा असर होगा और जो घरेलू काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी परेशानियां बढ़ जायेंगी । जो श्रीमती परमानंद जी अभी बोलीं उन्होंने कुछ बातों पर प्रकाश डाला है । इस समय हमारा समाज एक विचित्र ढंग का है । किस तरीके से कानून पास होते हैं, उन पर किस तरीके से अमल होता है और किस तरीके से वे तोड़े जाते हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुये यह मुझे गैरमुमकिन मालूम पड़ रहा है कि इससे कोई लाभ होगा, उपकार होगा, बल्कि उपकार की जगह अपकार होगा, नुकसान होगा । अच्छा होता कि यदि श्री राजभोज जी इस बिल में ही या किसी प्रस्ताव के द्वारा यह कहते कि जो सहूलियतें आजकल शेड्यूल्ड कास्ट को मिल रही हैं, वही इन बेचारों को भी दी जायें । ये घरेलू कर्मचारी वैसे प्रायः खुद ही बच्चे होते हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके खुद बच्चे होते हैं । इनके बच्चों को फ्री एजूकेशन मिले, नौकरियों में रिजर्वेशन मिले और दूसरी सुविधाएं मिलें, अगर यह सब इस बिल में होता तो ज्यादा अच्छा होता । लेकिन यह सब इस में नहीं है, इसके माने यह कदापि नहीं होते हैं कि वे इस से सहमत नहीं है । एक बात मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस बिल को पेश करके एक बात श्री राजभोज जी ने प्रत्यक्ष कर दी है । मैं उनके मुंह से सदैव यह सुना करता था कि शेड्यूल्ड कास्ट को यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें यह अनुभव हुआ है कि शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सहूलियतें मिलनी चाहियें इस लिए प्रत्यक्षरूप से नहीं, डाइरेक्टली नहीं, इंडाइरेक्टली इस सिद्धांत को इस बिल के जरिए राजभोज जी ने स्वीकार कर लिया है कि शेड्यूल्ड कास्ट को मिलने वाली सहूलियतें इकनोमिक आधार पर मिलनी चाहियें न कि जाति के आधार पर । पर्वतीय प्रदेश से जो दिल्ली में काम करने आते हैं वे या तो क्षत्रिय होते हैं या ब्राह्मण होते हैं । इस तरह राजभोज जी जो सिफारिश कर रहे है उस के माने यह है कि उल्टे तरीके से वे यह कह रहे हैं कि लोगों को आर्थिक तौर पर सहूलियतें मिलनी चाहियें क्योंकि सब जातियों में गरीब और अमीर होते हैं । आज वहां का एक क्षत्रिय यहां आकर नौकरी करता है, लेकिन उसको कोई सहूलियत नहीं मिलती है । एक शेड्यूल्ड कास्ट आफिसर है, जो हजार रुपया तनख्वाह पा रहा है, उसके बच्चों की फीस माफ है

और हर तरीके की सहूलियतें मिल रही हैं महज़ इस वजह से कि वह उन जातियों में पैदा हुआ है जो शैड्यूल्ड कास्ट के अन्दर लिखी हुई हैं और दूसरा एक क्षत्रिय है, जो कास्ट हिन्दू समझा जाता है, वह आकर उसके बर्तन मांज रहा है। इस भेदभाव को दूर करना चाहिये। मैं समझता हूं कि राजभोज जी इस बिल में न सही लेकिन वैसे हर तरीके से इसका समर्थन करेंगे।

यह बिल जिस शक्ल में उन्होंने पेश किया है उस में बहुत से कांट्रेडिक्शंस हैं और अगर ब मान लिये गये तो जैसा कि मैंने पहले कहा इस बिल से बहुत नुकसान और हानि हो सकती है। इस में आपने यह दिया है कि जाब वर्क करेंगे यानी बर्तन मांजेंगे, कपड़े धोयेंगे, उन पर यह बिल लागू नहीं होगा। इसके क्या माने हैं। दूसरी तरफ डामेस्टिक वर्कर्स की आप यह परिभाषा करते हैं :

"working, ' sweeping, cleaning, gardening, tending domestic animals, keeping children etc"

उस में भी यह चीजें आ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि दो चीजें परस्पर विरोधी हैं। अगर उस चीज को मान लिया जाय जो पहले मैंने बतलाया कि जो जाब वर्क करेंगे उन पर यह बिल लागू नहीं होगा, तो इस बिल का मकसद खत्म हो जाता है। जाब वर्क के यही तो माने हैं कि कोई आया और एक घंटे में बर्तन मांज करके कुछ रुपये लेकर चला गया। फिर तो इसी तरीके से सब काम करायेंगे और घरलू कर्मचारियों को कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। लोग कहेंगे कि हमारे बर्तन और कपड़े साफ कर जाया करो और इतने पैसे ले लिया करो। घरेलू कर्मचारियों की तरह रखेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह कहा कि ३० रुपये दे दो, लेकिन उन्होंने यह जाहिर नहीं किया है कि इस में खाना शामिल होगा या नहीं। आपने देखा होगा कि इन नौकरों को तनख्वाह के साथ खाना भी मिल जाता है, लेकिन इस में इसका कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। तो मैं कह रहा था कि इस कानून के कारण बहुत से झगड़े पड़ जायेंगे। यह तमाम चीजें होंगी कि सब्जी लाता है उस में पैसा बचा लेता है, घी ज्यादा लगाता है, ज्यादा खा जाता है। तो ये तमाम मुश्किलात हैं। जहां कानून आया कि झगड़े आये। आप समझिये कि एक ऐसा समय था जब कि मालिकों और नौकरों के घर के से सम्बन्ध थे। इस में कसूर सभी का है। यह कहना कि इसका कसूर ज्यादा है और उसका बिल्कुल नहीं है ठीक नहीं है। यह दूसरी बात है कि किसी का कसूर अधिक हो, किसी का कम हो। आज ज़माना आ गया कि झगड़े होने लगे और कानून की मदद लेने लगे इससे तो और ज्यादा झगड़े बढ़ गये और अब ट्राइब्युनल्स से ले कर हाई कोर्ट तक जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में जहां सहूलियत देने की हम कोशिश करते हैं वहां हमें यह भी मालूम करने की कोशिश करनी चाहिये कि इस चीज के अन्दर क्या है, इसका रूट काज क्या है? इसका कारण क्या है? क्या वजह है कि बाहर से लोग आकर के दिल्ली शहर में नौकरी करने के लिये मजबूर होते हैं। मैं सरकार से कहता हूं कि यह जो अार्बनाइजेशन हो रहा है इसको रोकना चाहिये। लोगों के दिमागों में रूरल बायस पैदा होना चाहिये लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग शहरों में आ रहे हैं जिनके कि घरों में खेती होती है और यहां आकर वे बर्तन मांजते हैं। इसकी क्या वजह है? इसका कारण है गरीबी। गरीबी से मजबूर होकर लोग आते हैं ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे कानूनों को बना कर अगर इस समस्या को हम हल करना चाहें तो यह हर्गिज नहीं हो सकता है। आपको गरीबी को जड़ से काटना होगा। इस कानून को बना कर आप लोगों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में जब लोगों में जागरूकता आयेगी, जब लोगों की आर्थिक स्थिति भिन्न हो जायगी तो आगे लोग खुद अपने हाथों से काम करना शुरू कर देंगे,

[श्री नवाब सिंह चौहान]

नौकर रखना पसन्द नहीं करेंगे और झगड़े में नहीं पड़ना चाहेंगे। वे कहेंगे कि अदालतबाजी और पुलिस के चक्कर और इन झगड़ों में पड़ने से यह अच्छा है कि अपने आप ही घर के कामों को कर लें। इसके साथ ही साथ इन तमाम कामों को करने के लिये बहुत सी दुकानें खुल जायेंगी, हमारे साउथ इन्डिया म बहुत अच्छा होटल का सिस्टम है, और भी बहुत सी जगहों में लोग होटल में जा कर खा आते हैं। तो आगे चल कर बीबी बच्चे होटल में जा कर खा आयेंगे और कपड़े वगैरह भी दुकानों में धुलवा लेंगे। अभी जो अकेले रहते हैं वे इस तरीके की चीजें करते हैं, आगे चल कर के फेमलीज भी ऐसा करने लगेंगी। तो ऐसी हालत में किसको मजबूरी होगी? हम को तो यह देखना है कि जो लोग इस काम के लिये जहां से आते हैं उनको वहां ही रोजगार मिले। आप देखेंगे कि बहुत से लोग पहाड़ों पर से आते हैं। पहाड़ों की सुन्दर जिन्दगी और सुन्दर आबोहवा को छोड़ कर शहरों में आने के लिये मजबूर होते हैं, जहां कि उनको स्वच्छ पानी भी पीने को नहीं मिलता है और जहां कि गर्मी में वे झुलस जाते हैं और जहां कि हर तरह के ऐब भी आ जाते हैं। पहाड़ों पर कितना पवित्र जीवन होता है, पहाड़ों पर जहां कहीं आप जाइयेगा उसी जगह पर एक शान्ति की जिन्दगी मिलेगी। अतः सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि इन लोगों की बेकारी दूर हो, और मेरा यह सुझाव है कि सरकार को चाहिये कि इन लोगों को वहां पर ही वह जमीनें दे। ये लोग पहाड़ों के ऊपर जमीनें जोत कर अच्छे से अच्छे फल उगा सकते हैं। आज दुनिया भर को जमीनें दी जा रही हैं, शेड्यूल्ड कास्ट को दी जा रही हैं। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इन लोगों की उन से भी बुरी हालत है, इसलिये इनको भी जहां सरकारी जमीनें हों वहां मिलनी चाहियें। जहां कांसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स के करने से या जो सीलिंग लगा रहे हैं उस से या किसी तरह से जमीनें सरकार के पूल में आवें उन में स इन लोगों को देनी चाहिये। इसके साथ ही साथ और सुविधायें इनको मिलनी चाहिये। वहां इनकी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिये और हर तरह की सुविधा होनी चाहिये।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PUSHPALATA DAS) in the Chair.]

यह भी आप अनुभव करते होंगे कि ये लोग पहाड़ों के ऊपर क्यों गये थे? पुराने जमाने में बहुत से लोग अपनी सरहद की रक्षा के लिये वहां रखे गये थे। इसीलिये तो आप देखते हैं कि ये गोरखा और गढ़वाली जो हैं इन में ऐसे बड़े बड़े बांके जवान हैं जिन्होंने कि लड़ाई में ब्रिटिश जमाने में और अब भी नाम कमाये हैं, ये बड़े रण बांकुरे हैं। तो उनका ही एक भाई आज यहां बर्तन घिसने पर मजबूर होता है। इसलिये राष्ट्र के हित में इनका जिस तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है उस तरह से करना चाहिये। अगर आज हिमालय पहाड़ की रक्षा के लिये यहां का आदमी यू० पी० से, पंजाब से भेज दिया जायगा तो चाहे वह बहुत ही अच्छा आदमी हो लेकिन फिर भी पहाड़ों पर चढ़ने उतरने का काम वहां का आदमी ही अधिक से अधिक आसानी से कर सकता है। इसलिये इस बात पर ध्यान देना सरकार का फर्ज है। इन में बड़े बड़े सुन्दर युवक हैं, नौजवान हैं और इनको मिलिटरी में नौकरी देनी चाहिये। ये लोग बड़े अच्छे सैनिक साबित होंगे, इनके जरिये से हिमालय की जो हमारी बाउंडरी है, सरहद है, उसकी रक्षा ठीक ढंग से हो सकेगी। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ये तमाम कदम उसे शीघ्र से शीघ्र उठाने चाहियें ताकि एक ऐसे तबके का जो कि हमारे समाज और देश के लिये बहुत उपकारी तबका है कुछ हित हो सके।

मैंने इस बिल की कुछ बातें बतलाई थीं कि किस तरीके की चीजें इस बिल में राजभोज जी ने रखी हैं। जैसा कि मैंने बतलाया था कि उन्होंने इस में पुलिस को भी जोड़ दिया

है । आप जानते हैं कि "पुलिस का वेरिफिकेशन" इस में अगर आ गया तो फिर एम्पलायर और एम्पलाई की क्या दशा होगी ? शायद एम्प्लायर की दशा खराब न हो क्योंकि अगर वे दिल्ली में रहते हैं तो उन में कोई अफसर होगा या पार्लियामेंट का मेम्बर होगा या उनकी किसी न किसी से दोस्ती होगी लेकिन इन बेचारे मजदूरों की जो आफत आ जायगी । यह चीज उस के ऊपर ही आकर पड़ेगी और वह भागता फिरेगा । गांव में उसका बाप थाने के अन्दर जायेगा और वह कहेगा कि दरोगा जी, दीवान साहब, आप किसी तरह से इस को नेकचलन लिख दीजियेगा नहीं तो इसकी नौकरी छूट जायगी । वहां उसको कुछ न कुछ देना पड़ेगा, जैसा कि आजकल होता है, बगैर इसके काम नहीं होता है । मैं आपको एक उदाहरण इसका देता हूं । मेरी तरफ के एक आदमी—जो कि नीची जगह पर केन्द्रीय सरकार में नौकर हैं उनको बहुत दिनों के बाद कहीं कुछ शुबहा हुआ कि पुलिस के जरिये से उनकी जांच पड़ताल होगी—मेरे पास आये और अपनी तमाम दिक्कतें बताई । ये दिक्कतें अब भी होती हैं । वे समझते थे कि बड़ी मुश्किल हो जायेगी । कोई नुक्स, कोई बुराई उसके कैरेक्टर में नहीं थी लेकिन खामख्वाह लोग रुपया लेने के लिये इस तरह की चीजें कर देते हैं । इसलिये अगर इन लोगों को पुलिस के गलत आदमियों के—पुलिस के अच्छे आदमियों की बात मैं नहीं कहता हूं—चंगुल में फंसाना हो तो इस चीज को इस में लागू कर दें और तमाम चीजें उस से हो जायेंगी और वे भी याद करेंगे कि राजभोज जी इस तरह का बिल लाये थे । वे उस वक्त समझ सकेंगे कि वाकई इस बिल को लाने से जो उनका मंशा था उसके बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है ।

इस में उन्होंने कहा है कि पुलिस किसी डोमेस्टिक वर्कर का इंस्पेक्शन कर सकती है । जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि पुलिस वाले को किसी के घर में इंस्पेक्शन करने का अधिकार दे देना गलत है । मान लीजिये कोई अपने नौकर के बारे में नहीं बताता है, तो पुलिस घर में घुस सकती है, वह यह भी कह सकती है कि कहीं किसी कोठरी में उसे बन्द नहीं कर दिया हो । तो इस तरह से एक बड़ी बदमजगी और बेचैनी परिवारों में पैदा हो सकती है और इसको कोई भी पसन्द नहीं करेगा । अगर पुलिस चाहेगी इसकी वजह से मर घर में, या किसी मेम्बर के या किसी सेक्रेटरी के घर में भी, घुस सकती है और कह सकती है कि साहब आप डोमेस्टिक वर्कर्स को रखते हैं इसलिये इंस्पेक्शन करना है । मैं समझता हूं कि आगे चल कर लोग ऊब जायेंगे और नौकर रखना पसन्द नहीं करेंगे । जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वे भी इस चीज को पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि आम मजदूरों में और डोमेस्टिक वर्कर्स में बहुत ज्यादा अन्तर है । वसे मजदूर एक काम के लिये होते हैं लेकिन ये एक परिवार के होते हैं और इनका एक फैमिली का सा जीवन होता है । अगर इनके साथ फेमिली मेम्बर का सा बर्ताव मालिक नहीं करता है तो फिर काम नहीं चल सकता है और अगर उस के दिमाग में भी यह चीज नहीं है कि मैं भी इस घर का हूं तो भी कभी भी ठीक ढंग से काम नहीं चल सकता है । बिना ऐसा हुए गड़बड़ होगी और आज नहीं तो कल यह चीज खत्म हो जायेगी ।

इसमें उन्होंने लिखा है :

"No domestic worker shall be made to work for more than ten hours in a day."

इसका क्या मतलब है ? कोई चीज साफ नहीं है । "१० घंटे से ज्यादा" का क्या मतलब है ?

ठाकुर भानु प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : साफ कर नहीं सकते ।

श्री नवाबसिंह चौहान : साफ नहीं कर सकते ? सफाई करने के लिये तो बैठे ही हुए हैं । कुल मिला कर १० घंटा हुआ या नहीं हुआ इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा ?

श्री पां० ना० राजभोज : ११ बजे, १२ बजे रात तक ये लोग काम करते हैं।

श्री नवाबसिंह चौहान : आपने दस घंटे कर दिया तो दस घंटे में वह क्या क्या न करा लेगा ? वह करा लेगा चार दिन का काम । जिस तरह मिल में बुनकर अपने काम में लगे रहते हैं, पानी पीने इत्यादि जैसे कामों को छोड़ कर बाकी वक्त वे बुनने में ही लगे रहते हैं । मालिक अपने नौकर को उसी तरह से लगाये रखेगा ।

श्री पां० ना० राजभोज : आप सीता परमानन्द जी की तरह बात मत कहिये ।

श्री नवाबसिंह चौहान : हम भी कौन दूसरी तरह से रहते हैं, तकरीबन हम सब लोग एक ही तरह से रहते हैं, एक से खा रहे हैं । हमारी हालत तो यह है :

कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ ।
रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ ।।

अनुभव सब करते हैं । लीडर को भी रंज तो है ही लेकिन बहुत आराम के साथ है । सीता जी को भी अनुभव है, वे भी श्रमिकों में, मजदूरों में काम करती हैं ।

श्री पां० ना० राजभोज : वे तो बहुत पैसे वाली हैं ।

श्री नवाबसिंह चौहान : वह ठीक है, लेकिन पैसे वाले का पैसा तो छीना नहीं जा सकता ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PUSHPALATA DAS): Mr. Rajabhoj, you will have time to reply.

श्री पां० ना० राजभोज : उनको गरीबों की गरीबी का हाल मालूम नहीं है इसलिये कह रहा हूं ।

श्री नवाबसिंह चौहान : गरीबों के प्रति हमदर्दी जबानी जमाखर्च करने से नहीं होती है, न उससे उनकी मदद होती है । लेकिन हमें इस तरह के प्रोविजन्स रखने चाहियें । मेरा कहने का मकसद यह था कि आपकी स्प्रिट, आपकी भावना, नीयत, वाकई मदद करने की है लेकिन उसे जिस ढंग से आपने रखा है उससे उसका विपरीत अर्थ होगा। अच्छा हो कि किसी तरीके से सुधारा जाय . . .

श्री पां० ना० राजभोज : सजेशन दीजिये ।

श्री नवाबसिंह चौहान : सजेशन तो बहुत से दे रहा हूं, लेकिन इस के नुक्स बता रहा हूं आपको । यह तो जाहिर है कि जब तक बिल ही न बदल दिया जाय तब तक मकसद निकालना बहुत मुश्किल होगा ।

Clause 12(1) says:

"Every domestic worker shall be entitled after twelve months' continuous employment to privilege leave with full wages for a total period of not less than fifteen days."

जहां तक लीव का ताल्लुक है, ठीक है, यह सब सुविधा होनी चाहिये । लोगों में किसी को इस पर आपत्ति नहीं है । जितनी तनख्वाह आप कहते हैं उससे भी ज्यादा हो जाये तो अच्छा है । लेकिन जैसा कि अभी बतलाया गया उसका नतीजा यह होगा कि लोग स्वयं काम करने लगेंगे, नौकर रखेंगे ही नहीं । मैं पढ़े लिखे श्रेणी की बात बतलाता हूं । हमारे यहां यू० पी० में बी० ए० पास करने के बाद जो एल० टी० या बी० टी० कर लेते हैं उनका ग्रेड १२० रु० से शुरू होता है । लेकिन नतीजा क्या होता है स्कूल कालेज में उनको ७० या ८० रु० पर रखते हैं, और उनसे मैनेजर १२० रु० की रसीद लेते हैं क्योंकि वह तनख्वाह गैर कानूनी है, और वे अपनी राजीखुशी से रसीद देते हैं । एक्चुअल जो पेमेंट उनको होता है वह ६०, ७० या ८० रु० होता है । एक ही चीज का सहारा हो सकता है, स्ट्राइक का । एक तरफ से स्ट्राइक होगा तो दूसरी तरफ से भी हो जायेगा । कोई सूरत नहीं निकलती है । यहां नई दिल्ली में तो मेहतरों की भी स्ट्राइक नहीं हो सकती । वैसे मेहतर का ही काम एक ऐसा काम होता है

जिसको और कोई नहीं कर सकता, उसमें दूसरे लोग नाकामयाब होते हैं । लेकिन बाकी तमाम चीजें ऐसी हैं जो लोग अपने आप कर लेंगे और परेशानियां बढ़ती जायेंगी । इसमें सोलहवीं दफा में आपने लिखा है :

"Nothing in this Act shall be construed so as to preclude the employer and the domestic worker from entering into a contract which would benefit the latter in material respects."

इसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि नौकरों के फायदे के लिये यह चीज कही गई है लेकिन मक्सद उसका उल्टा होगा । यह भी प्राविजन सुन्दर नहीं मालूम पड़ता है । इसलिये मैं और अधिक न कहकर, जैसा कि और लोगों ने प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद दिया है, बहुत से पत्र इत्यादि उनके पास आये हैं, मैं भी उनको बिल्कुल सामने खड़े होकर धन्यवाद दे रहा हूं ऐसी उच्च भावनाओं के लिये । लेकिन धन्यवाद देने के साथ मैं उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि वे गहराई के साथ इन बातों के ऊपर विचार करें कि इससे प्राप्ति क्या होगी, जो बातें बिल में कही गई हैं उनका इम्प्लीकेशन क्या होगा और कितने गरीब एम्प्लॉइयों का उनसे हित हो सकेगा और कितना नहीं हो सकेगा । क्या उनसे दोनों पार्टियों को परेशानी नहीं होगी? हालांकि बिल में आपने दूसरी पार्टी, एम्प्लायर के ऊपर ज्यादा अंकुश रखा है लेकिन जब यह बिल अमल में आयेगा तो अंकुश उस बेचारे गरीब नौकर के ऊपर हो जायेगा । इसलिये मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, कि इससे यह समस्या सुलझ नहीं सकती है। गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि जो दो पोइंट मैंने रखे उन पर ध्यान दे । एक तो उनको जमीनें दे जो यहां पर पहाड़ों से आयें हैं ताकि वे उन जमीनों को जोत सकें, वहां पर और भी काम कर सकें, गार्डनिंग कर सकें, सेब पैदा कर सकें क्योंकि बड़े तेज भाव हो गये हैं सेब के और दिल्ली वालों को नहीं मिलते हैं, अंगूर नहीं मिलता है क्योंकि अफगानिस्तान से आता है और पाकिस्तान के कारण कभी आना बन्द हो जाता है । इसलिये पहाड़ों के ऊपर, हाई हिल्स के ऊपर आप उनको जमीन देकर बसायें । दूसरे उनको आप मिलिटरी के अन्दर भर्ती करें और अच्छा हो कि ऐसा वातावरण पैदा किया जाये कि ये लोग यहां न आने पावें और शहर की जो दूषित हवा है वह न लगने पावे, ये लोग वैसे पवित्र रहें जैसे कि थे ।

इन बातों को कहते हुये मैं समाप्त करता हूं ।

PROF. A. *R.* WADIA (Nominated): Madam Vice-Chairman, I do appreciate the good intentions of my friend, Mr. Rajabhoj. But when I have said this, I am not in a position to say a word more in favour of the Bill. In fact, it is difficult to think of a more ill-conceived and more badly thought-out Bill than Mr. Rajabhoj has thought fit to bring before us. My task of criticism has been appreciably lightened by the two previous speakers who have spoken very forcefully and very cogently on the subject.

Madam, I have been very fond of telling my European friends and my Indian friends that in the economic world of today there is one respect in which India is deflni'ely superior to the West, and that is in the matter of domestic servants. I know that this source of pride will not continue long. We are going in for more and more industrialisation and our people will naturally get more and more wages there None, except a fool or an idiot, will prefer to be a domestic servant on a lower pay when he is going to get much better wages in an industrial concern. But, if by any mischance, Mr. Raja-bhoj's ideas are carried out, he will hasten the day when there will be practically no domestic servants for the simple reason that under these extreme conditions, extreme rules that he is proposing, most persons would prefer to get rid of domestic servants rather than employ them.

(.Frof. A. R. Wadia.J

As a mat.er of fact, so many people come from villages to our cities, Why? Because there is not work enough in the villages. In the cities why do people go in for domestic service at all? Because there is not sufficient employment in the industrial field. Now, if the ordinary middle class people, who employ servants, are forced to undertake all these terrible liabilities imposed in the Bill, they will naturally not employ these domestic servants, and the immediate result of such a Bill would be rise in unemployment. I am perfectly certain that there might be one person out of ten who might possibly get all these advantages, but there will be nine persons who will be thrown on the streets, and following the consequences of increased unemployment there will be more of beggary, there will be more of crimes, more of robberies and more of pocket pickings, so that all the advantages which Mr. Rajabhoj dreams of will absolutely evaporate. 1 am afraid, Mr. Rajabhoj is not fully conscious of the present-day conditions of employment. He is talking of reporting to the police as soon as a servant is employed. He does not seem to be conscious of the fact how often our domestic servants change nowadays.

Within a week we might have three servants and every time we are expected to run to the police station to report. All the remedies which he is proposing in clause 4 and the following clauses are absolutely impracticable. The importance which he gives to the police will only succeed in introducing police raj which will not be of any benefit either to the employers or to the employees; it will only make our life more miserable.

Clause 4 is thoroughly impracticable. 'Domestic Servant' includes either a full-time servant or a part-time servant. He has not made any distinction in their wages. Are we expected to make the minimum wage of Rs. 30 for a servant below the age of 18 and Rs. 40 for a servant above the age of 18 applicabie to a person who is even in part-time employment? Has he taken into consideration the fact that most of our domestic servants are not merely paid wagej but are also fed and even clothed? Does he include that in the wages to be given to the domestic servants? .In other words, he is really making the relationship between the master and the servant much more difficult, much more inhuman than it has ever been in the past. There is a sense in which this mas.er and servant relationship has something beautiful about it provided the master is human and- the servant is human and very often both of them are human. I have known of a master who has given money, not a few hundreds but a few thousands, to a servant to build a house in his own village. I have known of masters who in their will have given legacies to their servants. Recently there was a case where a man—only his sister is surviving but he had got a very big house and a number of servants—definitely laid down in his will that not a single servant should be dismissed and that the whole establishment should go on as it used to go on in his life-time. That is a beautiful human relationship which you cannot possibly expect under the conditions of force and police raj that Mr. Rajabhoj has in mind.

Clause 9 talks of a full day's rest every week and it says that no deduction shall be made from the wages— a very sensible thing. Then he says that the minimum wage of a domestic worker under eighteen years of age shall be Rs. 30 per month and over eighteen years of age Rs. 40 per month. How many people are there who can afford these wages to be paid? So, the net result of Mr. Rajabhoj's endeavour would be to create unemployment It may perhaps be good for the employers if they have to work by hand and the sort of lazy life that some of us are tempted to lead under present conditions may go. That may be of

benefit to the employers, certainly not to the employees whose interest Mr. Rajabhoj has in mind.

Clause 11 is thoroughly impracticable. It has already been noted, and I am glad that it has been noted by so well known a labour leader as Shrimati Seeta Parmanand, that our domes.ic servants have not got that efficiency that domestic servants of the West have or even the domestic servants in Japan or China have. 1 have seen that efficiency with my own eyes and if one can afford it, one would not grudge the high wages that are given to domestic servants there, but it is very questionable whether with the inefficiency of our domestic servants it would be justifiable to pay them high wages. They have not got the honesty either which the servants in the West and servants in Japan and China usually have. There is hardly any servant who can honestly say that he is living only on the wages given to him. I think that is a notorious fact; it is no use being blind to it.

Madam, for all these reasons I sincerely appeal to Mr. Rajabhoj that if he has really the interests of the employees at heart, he should withdraw the Bill, otherwise the time may come when __these very people will curse the persons responsible for this Bill.

श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, यह बिल श्री राजभोज जी ने जिस ढंग से पेश किया है और उसके संबंध में जो भाषण दिया उससे मुझे यह मालूम होता है कि उन्होंने दिल्ली में होने वाली घटनाओं और आन्दोलनों के सहारे और उन पर निर्भर करते हुए यह बिल पेश किया है। उनके भाषण से यह मालूम होता है कि यह बिल पूरे देश पर लागू नहीं होगा बल्कि दिल्ली में जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उन पर ही लागू करने के लिये पेश किया गया है। उनके भाषण से यह भी पता लगता है कि जो ज्यादती डोमेस्टिक सर्वेंटस पर होती है वह ज्यादातर पहाड़ पर से आने वाले लोगों पर ही होती है और मेरा अनुभव यह बतलाता है कि पहाड़ से आने वाले ज्यादातर लोग दिल्ली में ही काम करते हैं। चूंकि मैं इस खयाल का हूं कि यह बिल एसे लोगों के लिये पेश किया गया है जो दिल्ली—या जैसा आप फरमाते हैं शायद कुछ बड़े शहरों में काम करने वाले, डोमेस्टिक सर्वेंटस के लिये है, इसलिये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं दो चार बात इस बिल के बारे में बोलना चाहता हूं।

इसमें कोई शक नहीं है कि डोमेस्टिक सर्वेंटस वैसे ही गरीब, वैसे ही बेसहारा और कुचले हुये मजदूर हैं जैसे किसी दूसरी इंडस्ट्री में—चाहे वह टैक्सटाइल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हों या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो। जहां मजदूर संगठन हैं वहां पर वे संगठन के सहारे अपनी मांग पूरी करा लेते हैं। मैं जब किसी मजदूर के बारे में और खास तौर से डोमेस्टिक सर्वेंट्स के बारे में आज बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तो मैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स को भी उसी नजर से देखता हूं जिस तरह से किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर को—चाहे वह टैक्सटाइल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे शाप असिस्टेंट हो, कोई भी हो। मैं समझता हूं कि यह दलील कि अगर इनकी हालत सुधारने की कोशिश की जायेगी तो वे बेसहारे हो जायेंगे, उन्हें काम नहीं मिलेगा, इस तरह की बात आज के जमाने में ठीक नहीं जंचती है। खास तौर से एक मजदूर कार्यकर्ता किसी मजदूर और मजदूर के बीच भेद नहीं कर सकता और जब डोमेस्टिक सर्वेंट्स की बात आती है तो उन्हें हरिजन नहीं समझा जा सकता है। डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी उसी तरह के मजदूर हैं जिस तरह और इंडस्ट्रियों के मजदूर हैं और इसलिये जहां तक मजदूरों की सुविधा का सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध

[श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय]

में अपने साथी श्री राजभोज के साथ हूं जिन्होंने यह बिल सदन के सामने पेश किया है। वे पददलित लोगों के बीच काम करते हैं और उन्होंने अपना जीवन उन्हीं में गुजारा है। उनकी जो सहानुभूति उनके साथ है, वह स्वाभाविक है। जहां तक इस सहानुभूति का ताल्लुक है मैं भी उनके साथ हूं। मैं यह चाहता हूं कि मजदूरों की मजदूरी या मासिक वेतन ठीक ढंग से मुकर्रर कर दिया जाये जैसा कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ में अभी तक हुआ है, हो रहा है और अकेले वेजेज़ बोर्ड की मदद से नहीं, अकेले ट्रिब्युनल की मदद से नहीं और दूसरे तरीके से नहीं; मिनिमम वेजेज़ एक्ट के सहारे यह कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग, ऐसे मजदूर जो कि रेग्युलर इंडस्ट्रीज़ के नहीं हैं, जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज के नहीं हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के हैं, छोटे छोटे कल कारखानों में काम करते हैं, प्रेस के लोग हैं, चूना भट्टा के लोग हैं, जहां दस दस, बीस बीस, पचीस पचीस आदमी काम करते हैं, थोड़े आदमी काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिये जब हमने कानून बनाया है, कुछ सहारा दिया है, तो मैं यह भी चाहता हूं कि इस तरह के लोगों को भी कुछ सहारा दिया जाये।

शाप असिस्टेंट्स का जहां तक ताल्लुक है आज सबको मालूम है कि पहले दूकानदार ११ बजे और १२ बजे रात तक दूकानें खोला करते थे। शाप असिस्टेंट्स ऐक्ट जब से आया तब से कोई भी दूकान आठ बजे के बाद खुली नहीं मिलती। इससे शाप असिस्टेंट्स को कुछ राहत मिली है। डामेस्टिक सर्वेंट्स की हैसियत करीब करीब वैसी ही है जैसी कि शाप असिस्टेंट्स की है। शाप असिस्टेंट्स छोटी बड़ी दूकानों में काम करते हैं और ये डामेस्टिक सर्वेंट्स छोटे बड़े घरों में काम करते हैं। हमारे लिये यह कहना ठीक नहीं है कि अभी वक्त नहीं आया है और उनके लिये कुछ न किया जाये या ऐसा बिल पास हो जाने से ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि लोग नौकर रखना छोड़ देंगे। छोड़ देंगे तो अच्छा होगा, कोई बात नहीं है। जो लोग अपने हाथ से काम कर सकते हैं उनके लिये तो कुछ कहने की बात नहीं है। हर एक को अपना काम अपने हाथ से करना चाहिये। मगर जहां तक कानून का ताल्लुक है, जहां तक कानून के सहारे का ताल्लुक है, जहां तक मजदूरी का ताल्लुक है, मैं इस पक्ष में हूं कि हर एक वर्ग के आदमी को, मजदूर को, चाहे वह किसी महकमे में, चाहे किसी जगह काम करने वाला हो, उसको इतना वतन ज़रूर मिले कि जिससे वह ठीक ढंग से अपनी गुज़र बसर कर सके, ठीक ढंग से अपने बच्चों को पाल सके और देश का एक अच्छा नागरिक बन सके। तो मैं इस पक्ष में हूं कि चाहे कानून के द्वारा हो या गवर्नमेंट कोई ऐसी कार्यवाही करे जिससे इन डामेस्टिक सर्वेंट्स को सहारा मिले। उनकी मजदूरी मुकर्रर हो, उनके काम के घंटे मुकर्रर हों, उनको प्राविडेंट फंड मिले और जो सहूलियतें दूसरे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मिलती हैं वे उनको भी मिल सकें। सवाल यह है कि आज कितना काम हो सकता है। अगर हमें सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी कायम करना है तो हम इस चीज से बंधे हुये हैं कि हम उनको कुछ राहत दें। यहां दूसरे माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि इससे गड़बड़ हो जायेगा, डामेस्टिक सर्वेंट्स की नौकरी छूट जायेगी, मैं इस से सहमत नहीं हूं। मैं यह चाहता हूं कि इनके लिये ठीक ढंग से कानून बने। जिस तरह लेबर मिनिस्ट्री अपने कानून बनाती रहती है और लोगों को राहत देती रहती है, उसी तरह चाहे ऐक्ट बना कर हो, चाहे कोई आर्डर निकाल कर हो, चाहे कोई आफिसर मुकर्रर करके हो, ऐसी कोई कार्यवाही की जाय जिससे उनको राहत मिले।

अब सवाल यह है कि श्री राजभोज जी ने जिस रूप में यह बिल रखा है उस रूप में यह बिल डामेस्टिक सर्वेंट्स को फायदा पहुंचायेगा या नहीं इसमें मुझे संदेह है। दरअसल जिस वक्त में इस बिल की दफा ५, ६, ७ और ८ पढ़ रहा था उस वक्त मेरा खून ठंडा हो रहा था। मैं सोच रहा था कि वे दफायें निगरानी करने वाले मुलज़िम के लिये हैं या डमेस्टिक सर्वेंट्स के लिये हैं। मुझे ऐसा लगता था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सर्विलेंस की दफायें उठा कर इस बिल में रख दी गई हैं। मैं किसी तरह इन चार दफाओं से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये चार दफायें इस बिल में रह गईं या पास हो गईं तो ये डामेस्टिक सर्वेंट्स के ऊपर कहर ढा देंगी। जिस वक्त ये दफायें हमारे दोस्त ने लिखी होंगी, उस वक्त शायद उनके सामने दिल्ली में होने वाली मेम्बर पार्लियामेंट की चोरियों का दृश्य रहा हो। मुझ को ऐसा लगता है कि शायद जिस वक्त ये दफाये लिखी गईं, उस वक्त उनके सामने वह तस्वीर हो कि डामेस्टिक सर्वेंट चोरी करके भाग जाते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं कि मेम्बर साहब बाहर चले गये और उनके कपड़े लत्ते तक गायब हो गये। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं इन दफाओं से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। ये डामेस्टिक सर्वेंट्स के लिये काल का काम करेंगी और उनका जीवन नरक बना देंगी। उनकी हालत वैसी ही हो जायेगी जैसी कि संगीन जुर्म करने वालों की होती है जिनकी निगरानी होती रहती है और जो २४ घंटा कांपते रहते हैं। ये दफायें कई सदस्य अपना भाषण देते वक्त पढ़ चुके हैं। इस लिये मुझ को इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। दफा २ और ३ एक दूसरे के विरुद्ध हैं और यह तय करना मुश्किल हो जायेगा कि किन को डामेस्टिक सर्वेंट्स माना जाये। यह फैसला करते करते कानून थक जायेगा।

इन दफाओं में एक यह बड़ा जबरदस्त, आपसी विरोध है और जो दूसरी दफायें ५ से लेकर ८ तक हैं वे सर्विलेंस की दफायें हैं। इनके अलावा फिर क्या रह जाता है। ९ से १२ तक की दफायें वेतन के बारे में हैं। वेतन के बारे में जो दफा ११ है उससे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि यह दफा पास हो जाने के बाद आज जो घरेलू नौकर घर में काम करते हैं और घर में खाना खाते हैं, कपड़ा पाते हैं, वह बन्द हो जायेगा। इस कानून में यह नहीं है कि यह ४० रुपया कपड़े खाने के अलावा है या क्या है। जब उसका ४० रुपया मिनिमम वेज मुकर्रर हो जायगा, तो कोई भी आदमी खुशी से ४० रु० दे देगा और खाना कपड़ा बन्द कर देगा। इससे एक नई मुसीबत आ जायेगी। जहां तक एम्प्लायर्स के जुर्माने वग़ैरह का सवाल है, वह कुछ नहीं है, बहुत कम है। यह बात ज़रूर है कि अगर गवर्नमेंट कोशिश करेगी तो मजदूर को थोड़ी बहुत राहत मिल जाय। इस बिल के ज़रिये तो कोई राहत मिलती नहीं। अगर हमारे मित्र श्री राजभोज जी यह चाहते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो तो वे इस बिल के रूप को बदल दें और नये सिरे से कोई बिल पेश करें। इसके साथ साथ मुझे यह विश्वास है कि मद्रास की कांफ्रेंस में गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया था वह एक यथेष्ट कदम है और वह एक ऐसी चीज़ है जिस की वजह से इन मजदूरों का काफी सुधार हो सकता है।

5 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PUSHPALATA DAS): May I know if the hon. Member wants to take more time?

SHRI RATANLAL KISHORILAL MALVIYA: Ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PUSHPALATA DAS): Then please continue on the next non-official day. There is a Message.